भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *54
जिसका उत्तर गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

उद्देशिका में संशोधन

***54 # श्री रामजी लाल सुमन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ-निरपेक्ष शब्दों के उपयोग पर पुनर्विचार करने की दिशा में अग्रसर है ;

(ख) क्या इस संबंध में कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा माहौल बनाया जा रहा है ; और

(ग) संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ-निरपेक्ष शब्दों के उपयोग पर पुनर्विचार के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'उद्देशिका में संशोधन' के संबंध में, राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *54 जिसका उत्तर तारीख 24 जुलाई, 2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : भारत सरकार ने संविधान की उद्देशिका से "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने के लिए औपचारिक रूप से कोई विधिक या संवैधानिक प्रक्रिया आरंभ नहीं की है । जबकि कुछ सार्वजनिक या राजनैतिक क्षेत्रों में इस पर चर्चा या बहस हो सकती है, सरकार द्वारा इन शब्दों के संशोधन के संबंध में किसी औपचारिक विनिश्चय या प्रस्ताव की घोषणा नहीं की गई है ।

नवंबर 2024 में, भारत के उच्चतम न्यायालय में डॉ. बलराम सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में वर्ष 1976 के संशोधन (42वां संविधान संशोधन) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी यह अभिपुष्टि करते हुए खारिज कर दिया कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति उद्देशिका तक विस्तारित है । न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय संदर्भ में "समाजवादी" एक कल्याणकारी राज्य को व्यक्त करता है और प्राइवेट सेक्टर के विकास में बाधा नहीं डालता है जबकि "पंथनिरपेक्ष" संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न अंग है ।

(ख) : कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा बनाए गए माहौल के संबंध में, यह संभव है कि कुछ समूह इन शब्दों पर पुनर्विचार हेतु राय व्यक्त कर रहे हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं । ऐसे क्रियाकलाप इस मुद्दे पर एक सार्वजनिक चर्चा या माहौल का सृजन कर सकते हैं, किंतु यह आवश्यक रूप से सरकार के शासकीय रुख या कार्रवाईयों को परिलक्षित नहीं करता है ।

(ग) : सरकार का शासकीय रुख यह है कि संविधान की उद्देशिका से "समाजवादी" और "पंथनिरपेक्ष" शब्दों पर पुनर्विचार करने या उन्हें हटाने की कोई वर्तमान योजना या आशय नहीं है । उद्देशिका में संशोधन के संबंध में किसी भी चर्चा के लिए गहन विचार-विमर्श और व्यापक सर्व-सम्मति अपेक्षित होगी, किंतु अब तक, सरकार ने इन उपबंधों का परिवर्तन करने के लिए कोई औपाचारिक प्रक्रिया आरंभ नहीं की है ।

******